

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 818]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

सं. 149/2015-सीमाशुल्क (नै.टै.)

सा.का.नि. 1010(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), की धारा 8ग की उपधारा (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतत् द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियम, 2002 जिसे अधिसूचना संख्या 34/2002- एन्.टी.- सीमा-शुल्क, दिनांक 11 जून 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 11 जून 2002 के तहत प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 21000/57/2015-ओएसडी (आईसीडी)]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आईसीडी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

No. 149/2015 - Customs (N.T.)

G.S.R. 1010(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby rescinds the Customs Tariff (Transitional Product Specific

Safeguard Duty) Rules, 2002, published by Notification No. 34/2002-NT-CUSTOMS, dated the 11th June, 2002 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 420(E), dated the 11th June, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 21000/57/2015-OSD (ICD)]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)